न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-87RAAJodhpur2023-31RTA223 Aaduram ors Vs Laduram etc

01. *आदुराम पुत्र घेवरराम*
02. *जालाराम पुत्र घेवरराम*
03. *पेमाराम पुत्र घेवरराम*
04. *हवा पत्नी घेवरराम*

जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ढांढणियां सांसण, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. *लालुराम पुत्र मगाराम फौत के कायम मुकामः -*
   1.1. *भीखाराम पुत्र स्व. श्री लालुराम*
   1.2. *निरमा पुत्री स्व. श्री लालुराम*
   1.3. *पुनीदेवी पत्नी स्व. श्री लालुराम*

   निवासीगण- हरीनगर, ढांढणिया सांसण, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। रेस्पोडेंटस संख्या 1/1 से 1/2 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पुनी देवी।
   1.4. *सुगनो पुत्री स्व. श्री लालुराम, पत्नी श्री भोजाराम, जाति मेघवाल, निवासी- शिवनगरी, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मरे।*
   1.5. *चमकादेवी पुत्री स्व. श्री लालुराम, पत्नी श्री हड़मानराम, जाति मेघवाल, निवासी- शिवनगरी, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।*
   1.6. *किनकादेवी पुत्री स्व. श्री लालुराम, पत्नी श्री राकेश जाति मेघवाल, निवासी- गंगावास, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।*
   1.7. *पिन्टुड़ी पुत्री स्व. श्री लालुराम, पत्नी श्री लक्ष्मणराम, जाति मेघवाल, निवासी- आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।*
2. *बेनाराम पुत्र चुनाराम*
3. *देवाराम पुत्र जोगाराम*
4. *रामचन्द्र पुत्र वीरमाराम*
5. *उम्मेदाराम पुत्र वीरमाराम*
6. *टीकुराम पुत्र वीरमाराम*
7. *रावतराम पुत्र वीरमाराम; लाऔलाद फौतद्ध*
8. *झमुदेवी पत्नी वीरमाराम*

9. *लाखाराम पुत्र रूपाराम*
10. *शिवाराम पुत्र रूपाराम*
11. *मोहनराम पुत्र रूपाराम*
    सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ढांढणिया सांसण, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
12. *राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।*

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मई 2016 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 95/2015 लालुराम बनाम बेनाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पी.आर. मेघवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो से छः व आठ
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या ग्यारह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या बारह

नि र्ण य

दिनांक : 14 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 95/2015 अनवान लालुराम बनाम बेनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मई 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 247 रकबा 58.05 बीघ ग्राम ढांढणिया सांसण तहसील बालेसर के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

दिनांक 12 मार्च 2016 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मई 2016 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा उनकी सहमति बताते हुए पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रखे जाने की सूचना बाबत पक्षकारान् को किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव अपीलांट्स की अनुपस्थिति में नियम एवं मौके के विपरीत तैयार किया गया है तथा पक्षकारान् के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते का भी प्रावधान नही रखा गया है। कानूनन बिना रास्ते के प्रावधान के विभाजन नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी, जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। हाल ही में अपीलांट्स के पास दिनांक 29.12.2022 को तहीसल कार्यालय से पत्थरगढी करवाने का नोटिस अपीलांट्स के पास आने पर अपीलांट्स की ओर से मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन की डिक्री पारित हो चुकी है। तब अपीलांट्स की ओर से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु

आवेदन प्रस्तुत किया तथा नकले प्राप्त की गई एवं जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मई 2016 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए लोक अदालत की भावना से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलांट्स की ओर से हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई समुचित कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 11 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 11 की ओर से अपनी भूमि की पत्थरगढी हेतु आवेदन किया, जिसे रूकवाने हेतु अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि मौके एवं राजस्व नक्शे में अत्यधिक भिन्नता है। उभय पक्ष बिना सीमांकन के मौके पर निर्माण कार्य कर रहे है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तो उभय पक्ष को पाबंद फरमाया जावे कि वे मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बालेसर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर अपीलांट्स को सम्यक रूप से सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार न कर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त के विपरीत तैयार किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध भू-अभिलेख निरीक्षक की फर्द मौका सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 06.11.2023 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में बहुत भिन्नता है। उक्त रिपोर्ट से विभाजन प्रस्ताव मौके के विपरीत होने की पुष्टि होती है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 95/2015 अनवान लालुराम बनाम बेनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मई 2016 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश

दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थित में नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार बालेसर से विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर